कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ।

पत्रांक : मु.चि.अ. / तम्बाकू नि. प्रकोष्ठ / 2020–2021 / 133

दिनांक : 13.5.2020

1. समस्त कार्यालय अध्यक्ष, मेरठ।
2. समस्त चिकित्सा अधिकारी / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
   सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेरठ।

विषय : सार्वजनिक स्थानों पर पान मसााला / तम्बाकू / अन्य तम्बाकू उत्पाद प्रतिवंधित एवं आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019–20 / 8375 लखनऊ / दिनांक 13.4.2020 एवं पत्रांक राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019–20 / 8365 लखनऊ / दिनांक 18.3.2020 द्वारा अवगत् कराया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वाइरस (कोविड–19) को महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा इसे विश्व व्यापी महामारी को गंभीरता से लेते हुए इसकी रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा निर्देश ज़ारी करते हुए हेल्पलाइन नम्बर– 18001805145 भी जारी किये गये हैं।

चूँकि प्रदेश में लगभग 29.4% लोग धूम्रपान रहित तम्बाकू का किसी न किसी रूप से सेवन करते हैं जो कि वर्तमान में तम्बाकू एवं पान– मसाला का सेवन कर इधर–उधर थूकने से कोरोना वाइरस (कोविड–19) को फैलने में सहायक हो सकता है एवं प्रधानमंत्री द्वारा बहुउद्देशीय स्वच्छ भारत मिशन व अन्य बीमारियों की रोकथाम हेतु भी तम्बाकू व पान मसाला का सेवन बड़ी बाधा है।

अतः कोरोना वाइरस (कोविड–19) को ध्यान में रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, पान–मसाला खा कर इधर–उधर तथा खुली सिगरेट की बिकी एवं हुक्का के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ उक्त कृत्य करते हुए पकड़े जाने पर कोटपा–2003 के नियमों / उपनियमों अन्तरगत नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मेरठ।

पत्रांक : मु.चि.अ. / तम्बाकू नि. प्रकोष्ठ / 2020–21

तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. राज्य नोडल अधिकारी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की आप अपने अधीनस्थ पुलिस बल को उक्त के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।
5. मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
6. उत्तर प्रदेष वालेन्टरी हैल्थ एसोसिएषन, 5 / 459 विरामखंड गोमतीनगर, लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मेरठ।